न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 105/2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 सजनकंवर पुत्री गिरधरसिंह पत्नी आसूसिंह 2 सुमेरसिंह 3 भोजराजसिंह पिसरान गिरधरसिंह 4 कान्ताकंवर पुत्री गिरधरसिंह पत्नी नरपतसिंह 5 भुपालसिंह 6 ममताकंवर पिसरान गिरधरसिंह जाति राजपूत निवासी डीगड़ा तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 गिरधरसिंह पुत्र देवराजसिंह 2 मानसिंह पुत्र गिरधरसिंह जाति राजपूत निवासी डीगड़ा तहसील व जिला बाडमेर 3 द्वारकादास पुत्र भगवानदास जाति जैन निवासी सुन्दरनगर चौहटन हाल चौहटन रोड पुराना जाटावास 4 तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 207 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री पदमसिंह पडिहार, वकील वादी पक्ष।
2. श्री रामस्वरूप भाटी, वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02।

निर्णय

दिनांक _____

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 हिन्दु है जो पूर्व पुरूष स्वर्गीय कुशलसिंह पुत्र हुकमसिंह के खानदान से है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व अन्य सहखातेदार के साथ स्वर्गीय कुशलसिंह के वारिसान के साथ पैतृक खातेदारी के खेत अन्य खसरों के साथ खसरा नम्बर 245 रकबा 76.00 बीघा मौजा लंगेरा तहसील व जिला बाडमेर में आया हुआ है। उक्त खेत का पर्चा लगान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के दादा, पड़दादा स्वर्गीय कुशलसिंह के नाम जारी हुआ था तथा उसी अनुसार खतौनी बन्दोबस्त बनी। स्वर्गीय कुशलसिंह के स्वर्गवास होने पर नामान्तकरण संख्या 112 मौजा लंगेरा तथा स्वर्गीय देरावरसिंह के स्वर्गवास पर नामान्तकरण संख्या 113 स्वीकृत किया गया। स्वर्गीय कुशलसिंह एवं स्वर्गीय देरावरसिंह के वारिसान द्वारा बाहमी तौर पर बंटवाड़ा कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बंट में खसरा नम्बर 245 में रकबा 12.00 बीघा भूमि आई, जिसका खसरा नम्बर 245/1 कायम किया गया। उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त कब्जा काश्त है तथा प्रत्येक के हिस्से में 1/8–1/8 हिस्सा भूमि आती है। प्रतिवादी संख्या 01 को अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने पर कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 20.04.2016 को रकबा 02.00 बीघा रू. 2,00,000 तथा दिनांक 25.01.2017 को रकबा 05.00 बीघा भूमि रू. 5,52,000 में प्रतिवादी संख्या 03 को बेचान की गई, जिसका नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 03 के नाम स्वीकृत किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 आदतन शराबी है तथा शराब के नशे में अपना हिस्सा गिरवी रखना बता कर। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा गिरवीनामा लिखवाने के बजाय धोखे से बेचान नामा लिखवा दिया जो वादीगण के विरूद्ध शुन्य एवं निस्प्रभावी है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 वादग्रस्त भूमि में खातेदार घोषित होने के साथ–साथ प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 मय वकील उपस्थित होकर ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 03 के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त होने के उपरान्त

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

भूमि उनके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नही करने के कारण उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

वादीगण की शहादत में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा गवाह मोहनसिंह द्वारा उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से वादीगण का उक्त भूमि में जन्म से हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण की अनुमति के बिना उनके हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 03 को किया गया, जो वादीगण के हिस्से तक शून्य एवं निस्प्रभावी है। लिहाजा वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित होने के साथ–साथ अपना 1/8–1/8 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में अंकित थी। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 12.04.2016 को उक्त भूमि में से 02.00 बीघा तथा दिनांक 25.01.2017 को 05.00 बीघा भूमि प्रतिफल की राशि प्राप्त कर जरिये रजिस्र्ड बेचान प्रतिवादी संख्या 03 को विक्रय की जाकर कब्जा प्रतिवादी संख्या 03 को सुपूर्द किया गया। वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान अंतरित की गई है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र प्रभाव में है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते वादी राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है और विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है।

अतः वादी का वाद क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया जाता हैं। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 19/03/19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 सजनकंवर पुत्री गिरधरसिंह पत्नी आसूसिंह 2 सुमेरसिंह 3 भोजराजसिंह पिसरान गिरधरसिंह 4 कान्ताकंवर पुत्री गिरधरसिंह पत्नी नरपतसिंह 5 भुपालसिंह 6 ममताकंवर पिसरान गिरधरसिंह जाति राजपूत निवासी डीगड़ा तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 गिरधरसिंह पुत्र देवराजसिंह 2 मांगसिंह पुत्र गिरधरसिंह जाति राजपूत निवासी डीगड़ा तहसील व जिला बाडमेर 3 द्वारकादास पुत्र भगवानदास जाति जैन निवासी सुन्दरनगर चौहटन हाल चौहटन रोड पुराना जाटावास 4 तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88, 188, 53 व 207 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 105/2018
निर्णय दिनांक :– 19.03.2019

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.03.2019 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी का वाद क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 19.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S D O) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.06.29 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: